INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP03180321237254V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 05:31 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14251804/ LALGANJ/ UP-PTG
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1425180401968477803372V
Purchased by	: SHYAMPATI CHANDRA SHEKHAR MISHRA COLL OF PHARM
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: AS PER DEED
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SHYAMPATI CHANDRA SHEKHAR MISHRA COLL OF PHARM
Second Party	: SECRETARY BOARD OF TECHNICAL LUCKNOW
Stamp Duty Paid By	: SHYAMPATI CHANDRA SHEKHAR MISHRA COLL OF PHARM
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

(प्रारूप अ के अनुसार शपथ पत्र)

हम रीता मिश्रा एवं चन्द्रशेखर मिश्र क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक श्यामपती चन्द्रशेखर मिश्र शैक्षिक संस्थान लखनपुरशूर सांगीपुर प्रतापगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी श्यामपती चन्द्रशेखर मिश्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी लखनपुरशूर, राजमतीपुर, सांगीपुर, प्रतापगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी ग्राम–लखनपुरशूर, तहसील–लालगंज, जनपद–प्रतापगढ़ में गाटा संख्या 375,376,377,379 एवं 380 रकबा क्रमशः 0.101हे0,0.476हे0,0.246हे0, 0.060हे0 एवं 0.128हे0 बैनामे से क्रीत है तथा गाटा सं0 222ख, 237, एवं 241 रकबा क्रमशः 0.433हे0, 0.280हे0, एवं 0.168हे0 लीज पर है (कुल रकबा 1.892 हे0) भूमि है।

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 222ख, 237, एवं 241 रक़बा क्रमशः 0.433है0, 0.280है0, एवं 0.168है0 (कुल रकबा 0.881 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 10/08/2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. हम घोषणा करते है कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो हमारे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होगें।

चन्द्रशेखर मिश्र
ह0सचिव/प्रबन्धक

रीता मिश्रा
ह0 अध्यक्ष